मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 1, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 92 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 98 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

महिला मंत्रियों के प्रति की गई टिप्पणी पर विशेषाधिकार भंग संबंधी सूचना पर व्यवस्था

श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री एवं श्रीमती रंजना बघेल, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास तथा श्रीमती नीता पटेरिया सहित भाजपा की महिला सदस्यों द्वारा श्री कांतिलाल भूरिया, सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा दो महिला मंत्रियों के प्रति समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणी पर दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख कर आसंदी से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा इसका परीक्षण करने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया।

उक्त विषय पर सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यवाही 10 मिनिट के लिए स्थगित की गई। पूर्वाह्न 11.35 बजे कार्यवाही स्थगित होकर 11.47 बजे पुनः समवेत हुई।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने इंदौर में ब्राउन शुगर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने शिवपुरी के करेरा में टीला तालाब का निर्माण न होने,

(3) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य ने मण्डला की नई तहसील घुघरी में स्टाफ एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था न होने,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने शासकीय शालाओं में व्यायाम के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति न होने,

(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने भोपाल के बैरागढ़ एवं ईदगाह हिल्स निवासियों की भूमि को शासकीय भूमि घोषित करने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड के मिहोना में मजदूरों को कम मजदूरी मिलने तथा

(7) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले के कटंगी एवं खैरलांजी तहसीलों में स्वीकृत कार्य पूर्ण न होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने (क) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2004-05 तथा (ख) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 तथा तत्सम्बन्धी अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने (क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2010-11 (ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा (ग) ऊर्जा विभाग की अधिसूचनाएं : (1) दिनांक 30 जून, 2011 (2) दिनांक 8 जुलाई, 2011 (3) दिनांक 3 अगस्त, 2011 तथा (4) शुद्धि पत्र, दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रणवीर सिंह जाटव, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री ब्रजराज सिंह, सुरेश चौधरी तथा परसराम मुद्गल, सदस्यगण ने श्योपुर एवं भिण्ड जिले में चंबल नहर क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बाला बच्चन, सदस्य ने प्रदेश के निमाड़ अंचल में कपास की फसल नष्ट होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित -

(1) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के,

(2) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा, सदस्य की नीमच जिले के,

(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के

विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद बीज की कमी, कालाबाजारी एवं नकली खाद बीज व कीटनाशक की बिक्री के संबंध में सर्वश्री रामनिवास रावत एवं रामलखन सिंह, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(अपराह्न 1.00 से 3.02 बजे तक अन्तराल)

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(3) श्री रामलखन सिंह

(4) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा

(5) डॉ. गोविन्द सिंह

(6) श्री पारस सकलेचा

(7) श्री पुरूषोत्तम दांगी

(8) श्री राधेश्याम पाटीदार

(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(10) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा

(11) श्री तुलसीराम सिलावट (जारी)

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 2, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 नवम्बर, 2011